In the court of S.D.J.M Pupri (Sitamarhi)
Present Vivek Kumar
C1 Case No.- 79 /2025

In the Matter of :-

..........................Hina Khatoon..........................Applicant

..........................Altaf Ansari & others..........Opposite Party

दिनांक	आदेश	अभियुक्ति
5.6.26	अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी अनुपस्थित हैं। परिवादी के तरफ से कोई हाजरी/पैरवी नहीं दी गई है। प्रस्तुत वाद जॉच साक्ष्य हेतु लंबित है। इस वाद में पूर्व में भी परिवादी को जॉच साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु कई मौके दिये गए हैं लेकिन परिवादी न ही स्वयं और न ही अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से इस मुकदमें में कोई पैरवी कर रहे हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि परिवादी ने इस वाद में अपनी रूचि खो दी है। अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में और परिवाद पत्र पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के पश्चात् इस न्यायालय को इस वाद में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु पर्याप्त सामग्री उपलब्ध प्रतीत नहीं होती है। जिसके कारण अभियुक्तो के खिलाफ कोई मामला बनता प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–226 के अंतर्गत खारिज किया जाता है। कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें। लेखापित अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी पुपरी, सीतामढ़ी	